पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अमित चौधरी

बनाम

पूनम चौधरी

2015 की विविध अपील सं. 390

08-फरवरी-2023

(माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार एवं माननीय न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता तलाक का डिक्री पाने का हकदार है?

हेडनोट्स

अपीलकर्ता रंगीन जीवन व्यतीत कर रहा था और प्रतिवादी का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करना चाहता था तथा उसे वापस लाने का कोई गंभीर प्रयास कभी नहीं किया। यहाँ तक कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु दायर वैवाहिक वाद भी वापस ले लिया गया। अपीलकर्ता के पिता ने स्पष्ट कहा है कि वह प्रतिवादी को वापस नहीं चाहते। स्वयं अपीलकर्ता ने भी स्वीकार किया है कि वह अपने वैवाहिक संबंध को पुनर्जीवित नहीं करना चाहता। (पृष्ठ 20, 21)

परित्याग (डेज़र्शन) स्वेच्छा से नहीं था और माननीय परिवार न्यायालय ने इसे व्यभिचार के आरोप के साथ सही ढंग से अस्वीकृत किया। (पृष्ठ 26)

अपील खारिज की जाती है। (पृष्ठ 28)

न्याय दृष्टान्त

समर घोष बनाम जया घोष, **(2007) 4 एस.सी.सी. 511**

सावित्री पांडेय बनाम प्रेमचंद्र पांडेय, **ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 591**

अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन**, (2009) 10 एस.सी.सी. 415**

अधिनियमों की सूची

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

मुख्य शब्दों की सूची

तलाक;परित्याग;व्यभिचार;अपरिवर्तनीय विघटन;भरण-पोषण;गुज़ारा भत्ता;सहजीवन का अधिकार

प्रकरण से उत्पन्न

मामला संख्या 475/2008, माननीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री के.एन. चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से: श्री विजय बर्धन पांडेय, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया**:** अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 की विविध अपील सं.390

===

अमित चौधरी, पिता-विवेकानंद चौधरी, निवासी-आर-10-1005, उदय गिरी अपार्टमेंट, कोतवाली ,जिला पटना।वर्तमान में- सी/ओ वी. एन. चौधरी, मोहल्ला आचाराज, डाकघर बौंसी ,थाना- बौंसी, जिला- बांका

... ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

पूनम चौधरी, पति-अमित चौधरी, पिता- दिवाकर ठाकुर, निवासी- फ्लैट नंबर 81, आर. बी. आई. कॉलोनी ,थाना- दीघा, जिला- पटना, वर्तमान सी/ओ दिवाकर ठाकुर, पंच मंदिर मार्ग, रोड नंबर 2, शिवपुरी, पटना।

... ... प्रतिवादी/ओं

===

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री के. एन. चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिएः श्री विजय बर्धन पांडे, अधिवक्ता

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा

मौखिक निर्णय

(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा)

दिनांक:08-02-2023

अपीलार्थी/पति के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. एन. चौबे और प्रतिवादी /पत्नी के विद्वान वकील श्री विजय बर्धन पांडे को सुना।

वर्तमान अपील उस निर्णय और डिक्री दिनांक 31.08.2015/08.09.2015 के विरुद्ध दायर की गई है, जो वैवाहिक वाद संख्या 475/2008 में माननीय अपर प्रधान न्यायाधीश ,परिवार न्यायालय, पटना द्वारा पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी से परित्याग और व्यभिचार के आधार पर तलाक की मांग करते हुए दायर वैवाहिक वाद संख्या 475/2008 को खारिज कर दिया गया।

अपील के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताना उचित है।

अपीलकर्ता ने वैवाहिक वाद संख्या 475/2008 दायर किया, जिसमें उसने यह कहा कि प्रतिवादी के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और इस कारण उसके जीजा और बहन ने उसकी शादी अपीलकर्ता के साथ 24.06.2005 को संपन्न कराई। विवाह के उपरांत प्रतिवादी, अपीलकर्ता के साथ उसके वैवाहिक घर आई और तत्पश्चात अपीलकर्ता के साथ नोएडा गई, जहाँ अपीलकर्ता एक निजी कंपनी में अभियंता के पद पर कार्यरत था। इसके बाद दोनों वैष्णो देवी मंदिर गए, जहाँ उन्होंने पूजा-अर्चना की और साथ ही अपना हनीमून भी मनाया। इसके बाद वे रायपुर लौटे, जहाँ अपीलकर्ता के पिता पदस्थापित थे और दंपत्ति का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रतिवादी ने अपने जीजा (राजेश कुमार मिश्रा) और बहन (नीलम देवी) को आमंत्रित किया। स्वागत समारोह के बाद प्रतिवादी ने अपने जीजा के साथ पटना जाने पर जोर दिया और उनके साथ चली गई। वहीं अपीलकर्ता रायपुर से नोएडा

लौट आया, किंतु उसे अपने दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।काफी समझाने-बुझाने के बाद, प्रतिवादी 20.08.2005 को नोएडा में अपीलकर्ता के पास आ गई। उसके रहने के दौरान वह गर्भवती हो गई। इसके बाद प्रतिवादी का जीजा और बहन आए और उन्होंने अपीलकर्ता पर दबाव डाला कि वह प्रतिवादी को उनके साथ पटना जाने की अनुमति दे। दबाव में आकर अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को उनके साथ जाने की अनुमति दे दी। तदनुसार, वह 25.10.2005 को पटना चली गई। इसके बाद अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के जीजा और बहन से उसे वापस भेजने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने उसकी वापसी में टालमटोल शुरू कर दी और अंततः 10.07.2007 को यह कहकर प्रतिवादी को भेजने से इनकार कर दिया कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस बात से अपीलकर्ता स्तब्ध रह गया। अपीलकर्ता के प्रयास विफल रहे क्योंकि प्रतिवादी ने फोन पर उसे कठोरता से यह कह दिया कि उसका जीजा ही उसकी पहली प्राथमिकता है और वह उसके इच्छाओं के विरुद्ध जाने का सपना भी नहीं देख सकती। पूछताछ करने पर अपीलकर्ता को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के बाद मूल्यवान संपत्तियाँ रह गयी थीं और प्रतिवादी उनमें से एक वारिस थी। इस कारण प्रतिवादी का जीजा और बहन उस संपत्ति को साझा नहीं करना चाहते थे, जिसे प्रतिवादी को विरासत में मिलना था। यही कारण था कि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि प्रतिवादी उस संपत्ति पर अपना दावा छोड़ दे।इस बीच, एक बच्चा पैदा हुआ जो आज तक प्रतिवादी के जीजा और बहन की ही अभिरक्षा में है। अपने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत एक आवेदन (वैवाहिक वाद संख्या 457/2007) दायर किया, जिसमें प्रतिवादी के साथ-साथ उसके जीजा और बहन को भी प्रतिवादीगण के रूप में शामिल किया गया।

प्रतिवादी ने 2007 के वैवाहिक मामला संख्या 457 में अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें अपीलार्थी की दलीलों से इनकार किया गया था, लेकिन यह नहीं कहा गया था

कि वह अपने वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार थी और न ही उसके बहनोई ने कभी यह खुलासा किया कि वह उसे वापस भेजने के लिए तैयार था।

प्रतिवादी के इस तरह के उदासीन दृष्टिकोण के बावजूद, अपीलार्थी ने फिर से उससे टेलीफोन पर संपर्क किया और उसके साथ नहीं जाने का कारण जानना चाहा, जिस पर उसने स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि वह अपने बहनोई के बिना नहीं रह सकती क्योंकि वह उसके जीवन में पहला पुरुष है।इस प्रकार, यह अनुरोध किया गया कि वैवाहिक मुकदमा दायर करने का कारण 25.10.2005 को उत्पन्न हुआ ...जब प्रतिवादी अपने जीजा और बहन के साथ पटना चली गईं, और दिनांक 10.07.2007 को जब उनके जीजा और बहन ने उन्हें वापस भेजने से इंकार कर दिया, तथा अंततः जब प्रतिवादी ने टेलीफोन पर यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में उसके साथ रहने का इरादा नहीं रखती।"

अपीलार्थी द्वारा वैवाहिक मुक़दमे में बताए गए तथ्यों से, यह पता चलता है कि 25.10.2005 को प्रतिवादी पटना के लिए रवाना हो गया और वहाँ रहा और कभी वापस नहीं आया और अंत में 10.07.2007 को , उसके बहनोई और बहन ने उसे वापस भेजने से इनकार कर दिया।अपीलार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रतिवादी के अपने बहनोई के साथ संबंध थे।

प्रतिवादी पेश हुआ और अपना लिखित बयान दायर किया जिसमें उसने अनुरोध किया कि उसकी शादी हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार 24.04.2005 पर की गई थी और शादी के बाद उसे उसके पति के पैतृक गांव ले जाया गया और उसके बाद नोएडा ले जाया गया, जहां शादी पूरी हुई।प्रतिवादी के बहनोई और बहन ने इस उम्मीद में शादी में बड़ी राशि खर्च की कि वह एक खुशहाल और समृद्ध वैवाहिक जीवन जीएगी।अपीलकर्ता ने विवाह से पूर्व नोएडा में एक फ्लैट खरीदने के लिए 12,00,000 रुपये की मांग की थी, जो प्रतिवादी के जीजा और बहन द्वारा अपीलकर्ता के पिता और चाचा की उपस्थिति में उसे उपलब्ध कराया

गया। किन्तु जब प्रतिवादी ने नोएडा में रहना प्रारम्भ किया, तो वह अपीलकर्ता की अपव्ययी और उच्छृंखल जीवनशैली देखकर स्तब्ध रह गई। अपीलकर्ता का छोटा भाई भी वहीं उसके साथ रहता था। प्रतिवादी द्वारा अपने पति को ऐसी जीवनशैली छोड़ने हेतु समझाने के प्रयासों से वह और अधिक क्रोधित हो गया। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी को मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दी जाने लगी, जिससे उसे गहरा आघात, पीड़ा एवं कष्ट सहना पड़ा।दिनांक 20.08.2005 को अपीलकर्ता पटना आया और उसे नोएडा ले गया, जहाँ उसका आचरण और भी निर्दयी हो गया। उसने प्रतिवादी को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया तथा उस पर पटना स्थित अपनी भूमि का हिस्सा बेचकर पाँच लाख रुपये कार खरीदने हेतु देने का दबाव डाला। प्रतिवादी द्वारा इनकार करने पर अपीलकर्ता उससे दूरी बनाने लगा। जब यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी गर्भवती है, तब अपीलकर्ता एवं उसके परिजनों ने गर्भपात कराने का दबाव बनाया। बाद में अपीलकर्ता के चाचा और चाची पटना आए और प्रतिवादी से तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा, किन्तु उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और उनसे निवेदन किया कि वे अपीलकर्ता को समझाएँ कि वह एक उत्तरदायी पति की भाँति व्यवहार करे। परंतु उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया और यहाँ तक कि प्रतिवादी के उस बालक को भी स्नेह नहीं दिखाया, जिसका जन्म दिनांक 29.05.2006 को कुर्जी होली फैमिली अस्पताल, पटना में हुआ।यह भी निवेदित है कि अपीलकर्ता की मासिक आय 60,000 रुपये है। उसके पिता रायपुर में पेंशन पर निर्वाह कर रहे हैं तथा उसका भाई अभियंता है। इस प्रकार अपीलकर्ता पर प्रतिवादी के अतिरिक्त अन्य कोई पारिवारिक दायित्व नहीं है। प्रतिवादी ने यह इच्छा प्रकट की है कि वह अपने वैवाहिक गृह में रह सकती है, परंतु केवल इस आश्वासन पर कि अपीलकर्ता किसी अन्य स्त्री से संबंध नहीं रखेगा और उसे प्रेम, स्नेह एवं सम्मान के साथ रखेगा।

प्रतिवादी के लिखित बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि शादी 24.06.2005 को संपन्न हुई थी।अपीलकर्ता ने विवाह से पूर्व नोएडा में एक फ्लैट खरीदने के लिए 12,00,000

रुपये की मांग की थी, जो अदा कर दिया गया।अपीलकर्ता रंगीन और उच्छृंखल जीवन व्यतीत कर रहा था तथा प्रतिवादी पर भी उसी प्रकार का जीवन जीने का दबाव डालता रहा। प्रतिवादी द्वारा इंकार करने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। विवाह के उपरांत अपीलकर्ता ने कार खरीदने के लिए पाँच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की और प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार किए जाने पर वह उससे दूरी बनाने लगा तथा बच्चे से मिलने का भी कोई प्रयास नहीं किया। बल्कि उसने अपने चाचा और चाची को प्रतिवादी के पास तलाक के कागज़ात पर हस्ताक्षर कराने के लिए भेजा।

पक्षों की दलीलों के आधार पर, विद्वान परिवार न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया:

1. क्या वर्तमान स्वरूप में वाद ग्राह्य है?
2. क्या वादी के पास वाद दायर करने का वैध कारण है?
3. क्या प्रतिवादी ने बिना किसी उचित कारण के वादी को परित्यक्त कर दिया?
4. क्या प्रतिवादी व्यभिचारी जीवन व्यतीत कर रही/रहा था?
5. क्या वादी प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है?
6. वादी किस प्रकार की राहत अथवा राहतों का अधिकारी है?
7. यदि मुद्दा सं. 5 सिद्ध हो जाता है, तो क्या प्रतिवादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अंतर्गत स्थायी भरण-पोषण एवं निर्वाह प्राप्त करने का अधिकारी है?

दोनों पक्षकारों ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए और माननीय परिवार न्यायालय ने पक्षकारों की दलीलों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत वाद को दिनांक 31.08.2015 एवं 08.09.2015 के क्रमशः आदेश एवं डिक्री द्वारा इस आधार पर

खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता परित्याग एवं व्यभिचार के तथ्य सिद्ध करने में असफल रहा।

माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की ओर से चार गवाहों की जिरह की गई, जिनमें अपीलकर्ता स्वयं भी शामिल थे। वे इस प्रकार हैं– भुवनेश कांत झा (अपीलकर्ता के चाचा) वादी साक्ष्य संख्या -1, अमित चौधरी (अपीलकर्ता) वादी साक्ष्य संख्या-2, विवेकानंद चौधरी (अपीलकर्ता के पिता) वादी साक्ष्य संख्या-3 तथा अनिल कुमार झा (चचेरा भाई) वादी साक्ष्य संख्या-4। इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता की ओर से दो प्रदर्श भी अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में अंकित है।प्रतिवादी की ओर से कुल पाँच गवाह प्रस्तुत किए गए, जिनमें प्रतिवादी स्वयं भी शामिल थीं। वे इस प्रकार हैं– वीरेंद्र कुमार ठाकुर (प्रतिवादी के भाई) प्रतिवादी साक्ष्य संख्या -1, राकेश कुमार मिश्रा प्रतिवादी साक्ष्य संख्या-2, नीलम देवी (बहन) प्रतिवादी साक्ष्य संख्या-3, शेष नारायण राय प्रतिवादी साक्ष्य संख्या-4 तथा पूनम कुमारी (प्रतिवादी) प्रतिवादी साक्ष्य संख्या-5। प्रतिवादी की ओर से तीन प्रदर्श अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए, अर्थात प्रदर्श A, A/1 एवं A/2, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में अंकित है।

प्रासंगिक साक्ष्य अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी के हैं, किंतु संक्षेप में न्यायालय अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किए गए गवाहों के बयान दर्ज करेगा ताकि विवादित मुद्दे की सराहना की जा सके, अर्थात् यह कि अपीलकर्ता द्वारा दायर वैवाहिक वाद व्यभिचार और परित्याग के आधारों पर सफल हो सकता था या नहीं।"

वादी साक्ष्य संख्या . 1 भवेश कांत झा ने अपने मुख्य-परीक्षण में, जिसे शपथपत्र पर दायर किया गया था, यह कहा कि अपीलकर्ता उनका भांजा है। विवाह 24.06.2005 को सम्पन्न हुआ। विवाह के बाद प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ नोएडा गई। प्रतिवादी का प्रारम्भ से ही अपने देवर के प्रति वैवाहिकेतर लगाव था और विवाह के तुरंत बाद वह अपने देवर

तथा बहन के साथ पटना चली गई। तत्पश्चात् 20.08.2005 को प्रतिवादी नोएडा लौटी और कुछ समय ठहरने के बाद वह पटना चली गई और उसी दौरान वह गर्भवती हुई तथा एक बच्चे का जन्म हुआ। प्रतिवादी ने यह दावा किया कि उसका देवर उसके जीवन का पहला पुरुष था और अपीलकर्ता दूसरा। प्रतिवादी के पिता मूल्यवान संपत्तियाँ छोड़ गए थे जिन्हें उसने उत्तराधिकार में पाया और वह अपने पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों से किराये के माध्यम से आय भी प्राप्त करती है। अपीलकर्ता ने उसे वापस लाने का प्रयास किया परंतु जब वह उसके साथ आने को तैयार नहीं हुई तो उसने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत (वैवाहिक वाद संख्या 457/2007) एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के साथ रहने से इन्कार कर दिया। उसे हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के अंतर्गत प्रति माह 7,000/- रुपये भरण-पोषण के रूप में प्राप्त होते रहे। गवाह ने आगे कहा कि अपीलकर्ता अथवा उसके परिवारजनों ने कभी भी फ्लैट अथवा कार खरीदने के लिए 12 लाख रुपये की माँग नहीं की। **अपने प्रतिपरीक्षण** के कंडिका 23 में उसने कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि संबंध कब से खराब होने लगे। वे 25.10.2005 से अलग रह रहे हैं और उसे यह भी ज्ञात नहीं कि बच्चे के जन्म के समय अपीलकर्ता अथवा उसके माता-पिता प्रतिवादी के घर गए थे या नहीं। आगे, प्रतिपरीक्षण के कंडिका 24 में उसने कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं कि अपीलकर्ता अथवा उसके परिवारजन प्रतिवादी को वापस लाने कितनी बार गए, यद्यपि वर्ष 2007 में वे गए थे।अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 25 में उसने कहा कि पक्षकारों के बीच सुलह का प्रयास किया गया था, किन्तु उसे यह ज्ञात नहीं कि अपीलकर्ता प्रतिवादी को पत्नी के रूप में रखने के लिए तैयार है या नहीं। तथा कंडिका 26 में उसने कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दायर आवेदन के परिणाम के संबंध में उसे जानकारी नहीं है।

वादी साक्ष्य संख्या-1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह न तो कोई महत्त्वपूर्ण गवाह है और न ही उसे इस बात की जानकारी है कि प्रतिवादी को वैवाहिक जीवन में वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए गए थे।

वादी साक्ष्य संख्या . 2 ने अपने मुख्य-परीक्षण में, जो शपथपत्र पर दायर किया गया था, वही बातें दोहराई जो वादपत्र में प्रस्तुत की गई थीं, जैसा कि ऊपर अंकित है। **प्रतिपरीक्षण** के कंडिका 24 में वादी साक्ष्य संख्या . 2 कहा कि उनका विवाह 24.06.2005 को हुआ और प्रतिवादी अक्टूबर, 2005 तक उसके साथ रही, तत्पश्चात वह अपने मायके चली गई। बाद में उसे पता चला कि एक पुत्र का जन्म हुआ है, परंतु उसे बच्चे के जन्म की तिथि याद नहीं। इसके पश्चात वर्ष 2007 में वह उसके *मायके* गया, जहाँ उसने बच्चे को देखा। वह प्रतिवादी को भरण-पोषण देता रहा है, परंतु बच्चे के भरण-पोषण हेतु कोई भुगतान नहीं करता।प्रतिपरीक्षण के कंडिका 25 में उसने कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं कि प्रतिवादी का कन्यादान किसने किया था। प्रतिवादी के माता-पिता का निधन हो चुका है और उसे यह भी ज्ञात नहीं कि विवाह के समय कितने भाई उपस्थित थे, क्योंकि उसे इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और न ही उसका अपने साले से कोई संबंध है।प्रतिपरीक्षण के कंडिका 26 में उसने कहा कि प्रतिवादी का शिवपुरी में घर है, परंतु उसने उस संपत्ति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं देखा। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 28 में उसने स्वीकार किया कि उसने दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक आवेदन दायर किया था, परंतु उसे वापस ले लिया गया। "अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 29 में उसने स्वीकार किया कि दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु दायर आवेदन के लंबित रहने के दौरान सुलह का प्रयास किए जाने पर दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए थे।

वादी साक्ष्य संख्या . 2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि उसने यह कहा है कि उसने प्रतिवादी को वैवाहिक घर वापस लाने का प्रयास किया, परंतु उसका आचरण इसके

विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि उसने यह नहीं बताया कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दायर आवेदन को क्यों वापस ले लिया। इससे यह आभास होता है कि वह केवल अनुचित लाभ लेने का एक उपाय था। यह तथ्य कि उसे यह भी ज्ञात नहीं कि उसके बच्चे का जन्म कब हुआ, यह भी दर्शाता है कि यद्यपि उसे पता था कि उसकी पत्नी नोएडा में रहने के दौरान गर्भवती हुई थी, फिर भी उसने वर्ष 2007 तक बच्चे के विषय में कोई जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया।इसके अतिरिक्त, उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह बच्चे के भरण-पोषण के लिए कोई राशि नहीं देता, जो उसके आचरण तथा प्रतिवादी को वैवाहिक घर वापस लाने की उसकी गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। साथ ही, उसके साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आता जो यह संकेत करे कि प्रतिवादी व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। इस प्रकार, व्यभिचार के आधार पर तलाक लेने का उसका पूरा प्रयास निरस्त हो जाता है।अपीलकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि वह प्रतिवादी के साथ रहना नहीं चाहता, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह कभी भी दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना में गंभीर नहीं था; बल्कि केवल परित्याग का मामला बनाने की कोशिश कर रहा था। प्रतिवादी ने अपनी लिखित बयान के कंडिका 12 में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपीलकर्ता के साथ जाने को तैयार है, बशर्ते कि अपीलकर्ता यह आश्वासन दे कि वह उसे उचित रूप से रखेगा, किंतु ऐसा कोई आश्वासन कभी नहीं दिया गया।

वादी साक्ष्य संख्या. 3 ने भी अपना मुख्य-परीक्षण शपथपत्र पर दायर किया और कहा कि विवाह 24.06.2005 को हुआ था और विवाह के बाद प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ नोएडा गई, जहाँ से उसने अपीलकर्ता पर पटना लौटने के लिए दबाव डालना शुरू किया। तत्पश्चात्, अगस्त 2005 में वह पुनः नोएडा आई जहाँ वह गर्भवती हुई। उसके बाद उसकी बहन और देवर नोएडा आए और उसे पटना ले गए। उसकी बहन और देवर ने स्पष्ट रूप से उसे वापस भेजने से इन्कार कर दिया। एक बच्चे का भी जन्म हुआ। प्रतिवादी का अपने देवर के प्रति अपीलकर्ता की अपेक्षा अधिक स्नेह है और माता-पिता के निधन के बाद वह अपने देवर के

साथ रहने लगी, जिसके कारण उसके भाइयों के साथ भी उसके संबंध खराब हो गए। प्रतिवादी के पिता उसकी नाम से संपत्ति छोड़ गए थे। उसे भरण-पोषण के रूप में 7,000/- रुपये की राशि दी जाती है और कभी भी फ्लैट या कार खरीदने के लिए पैसे की माँग नहीं की गई। प्रतिवादी अक्टूबर, 2005 से अलग रह रही है।**वादी साक्ष्य संख्या .3 ने अपने प्रतिपरीक्षण** के कंडिका 27 में कहा कि अब वे प्रतिवादी को रखने के लिए तैयार नहीं हैं और कंडिका 28 में कहा कि प्रतिवादी के भाई ने बच्चे के जन्म के बारे में कभी सूचना नहीं दी। वह स्वयं बच्चे को देखने नहीं गया परंतु अपीलकर्ता बच्चे को देखने गया था।

वादी साक्ष्य संख्या . 3 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने स्वीकार किया है कि अब परिवार प्रतिवादी को रखने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ तक कि अपने पोते के जन्म की जानकारी मिलने के बाद भी वह प्रतिवादी से मिलने नहीं गया।"

वादी साक्ष्य संख्या 4, जो अपीलकर्ता का ममेरा-भाई है, ने अपने मुख्य-परीक्षण में, जिसे शपथपत्र पर दायर किया गया था, कहा कि विवाह 24.06.2005 को सम्पन्न हुआ। प्रतिवादी के पिता उसकी नाम से संपत्ति छोड़ गए थे। प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के साथ रहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अपीलकर्ता ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक वाद संख्या 457/2007 दायर किया। अपीलकर्ता प्रतिवादी को प्रति माह 7,000/- रुपये का भुगतान करता है और कभी भी फ्लैट या कार खरीदने के लिए पैसे की माँग नहीं की गई। प्रतिवादी 25.10.2005 से अपीलकर्ता के साथ नहीं रह रही है।**वादी साक्षी संख्या ३ ने अपने प्रतिपरीक्षण** के कंडिका 22 में कहा कि उसे वैवाहिक वाद संख्या 457/2007 के परिणाम की जानकारी नहीं है। आगे यह भी कहा कि उसने अपने शपथपत्र में जो बातें लिखी हैं, वे अपीलकर्ता और उसके पिता से सुनी हुई हैं।

वादी साक्ष्य संख्या 4 का साक्ष्य बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है।

इसके पश्चात् प्रतिवादी तथा उसके गवाहों का साक्ष्य लिया गया।

प्रतिवादी साक्ष्य संख्या.1 ने अपना मुख्य-परीक्षण शपथपत्र पर दायर किया, जिसमें उसने कहा कि विवाह 24.06.2005 को हुआ और उस विवाह से एक संतान उत्पन्न हुई। प्रतिवादी नोएडा में रही, जहाँ अपीलकर्ता कार्यरत था। प्रतिवादी के माता-पिता का विवाह से पूर्व ही निधन हो चुका था और उसका पालन-पोषण उसकी बहन ने किया था। विवाह के समय लगभग 20 लाख रुपये खर्च हुए, परंतु विवाह के बाद अपीलकर्ता ने कार खरीदने के लिए पैसे की माँग की। अपीलकर्ता कभी भी अपने बच्चे से मिलने नहीं आया।व्यभिचार का आरोप असत्य है। उसका देवर उसके अभिभावक के समान है और अपीलकर्ता केवल रंगीन जीवन व्यतीत करता है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता प्रतिवादी का उपयोग अपनी पदोन्नति प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ रहने को तैयार है, बशर्ते अपीलकर्ता शपथपत्र देकर यह आश्वासन दे कि वह अपने आचरण में सुधार करेगा। अपने **प्रतिपरीक्षण** में उसने वही बातें दोहराईं जो उसने मुख्य-परीक्षण में कही थीं।

प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपना मुख्य-परीक्षण शपथपत्र पर दायर किया, जिसमें उसने कहा कि विवाह 24.06.2005 को सम्पन्न हुआ और विवाह के समय लगभग 20 लाख रुपये खर्च हुए। प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ नोएडा में रही, जहाँ वह गर्भवती हुई और एक संतान को जन्म दिया। अपीलकर्ता ने कार खरीदने के लिए पैसों की माँग की। प्रतिवादी के माता-पिता का विवाह से पूर्व ही निधन हो चुका था और वह अपने बच्चे के साथ अपनी बहन के पास रहती है तथा उसे मात्र 7,000/- रुपये मासिक भरण-पोषण के रूप में प्राप्त होते हैं। अपीलकर्ता द्वारा लगाया गया व्यभिचार का आरोप असत्य है; बल्कि अपीलकर्ता स्वयं रंगीन जीवन व्यतीत करता है और यह भी जानकारी मिली है कि उसने दूसरा विवाह कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी पर दबाव डाला कि वह उसकी पदोन्नति के लिए उसके बॉस के साथ समय बिताए। **प्रतिवादी साक्ष्य संख्या. 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण** के कंडिका 26 में कहा कि उसकी जानकारी के अनुसार, प्रतिवादी ने वैवाहिक वाद संख्या 457/2007 की कार्यवाही के दौरान कभी भी दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से इन्कार नहीं किया।

प्रतिवादी साक्ष्य संख्या. 3 ने अपना मुख्य-परीक्षण शपथपत्र पर दायर किया, जिसमें उसने प्रतिवादी के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि अपीलकर्ता रंगीन जीवन व्यतीत करता है और जब उसकी कार खरीदने की माँग पूरी नहीं हुई तो उसने प्रतिवादी को वैवाहिक घर से निकाल दिया तथा उसके गहने और कपड़े भी रोक लिए। कार्यवाही के दौरान जब न्यायालय द्वारा सुलह का प्रयास किया गया, तो अपीलकर्ता वहाँ से चला गया। इसके अतिरिक्त, व्यभिचार का आरोप पूर्णतः असत्य है।**प्रतिवादी साक्ष्य संख्या 3** ने प्रतिपरीक्षण की परीक्षा को सहन किया और कंडिका 25 में कहा कि प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ रहने को तैयार है, बशर्ते अपीलकर्ता यह आश्वासन दे कि वह अपने चरित्र में सुधार करेगा।

प्रतिवादी साक्ष्य संख्या 4 कोई प्रासंगिक गवाह नहीं है

प्रतिवादी साक्ष्य संख्या. 5 स्वयं प्रतिवादी है, जिसने अपने मुख्य-परीक्षण में शपथपत्र पर वही तथ्य प्रस्तुत किए, जो उसने अपने लिखित बयान में लगभग शब्दशः उल्लेख किए थे। प्रतिवादी साक्ष्य संख्या. 5 ने अपने मुख्य-परीक्षण में प्रतिपरीक्षण के कंडिका 3 में उसने कहा कि अपीलकर्ता शराबी है, रंगीन जीवन व्यतीत करता है तथा लड़कियों के साथ उसके वैवाहिकेतर संबंध हैं। कंडिका 6 में उसने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि अपीलकर्ता ने दूसरा विवाह कर लिया है। आगे, कंडिका 7 में उसने स्वीकार किया कि उसे मात्र 7,000/- रुपये मासिक भरण-पोषण के रूप में प्राप्त होते हैं, परंतु वह पर्याप्त नहीं है, और कंडिका 8 में उसने कहा कि वह अपने पति और बच्चे के साथ रहना चाहती है, बशर्ते उसका पति

शराब छोड़ दे और अपने चरित्र में सुधार करे।उसने यह भी कहा कि वह अपने पति के साथ केवल ढाई माह नोएडा में रही और बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में उसने अपीलकर्ता के साथ रहने का प्रयास किया, किंतु बच्चे के जन्म के बाद कोई भी उसे देखने नहीं आया।

प्रतिवादी गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता रंगीन जीवन व्यतीत कर रहा था और प्रतिवादी का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करना चाहता था तथा उसे वापस लाने का कोई गंभीर प्रयास कभी नहीं किया। यहाँ तक कि दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु दायर वैवाहिक वाद भी वापस ले लिया गया।अपीलकर्ता के पिता ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे प्रतिवादी को वापस नहीं चाहते। यहाँ तक कि अपीलकर्ता ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वह अपनी वैवाहिक संबंधों को पुनर्जीवित नहीं करना चाहता।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता वरिष्ठ ने प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो सका और समझौते की वार्ताओं के विफल होने का परिणाम यह हुआ कि विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है। पिछले 17 वर्षों से पति-पत्नी आपस में संपर्क में नहीं हैं। इस न्यायालय का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय समर घोष बनाम जया घोष , 2007 (4) SCC 511 की ओर आकर्षित कराया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ब्रिटिश, कनाडाई और अमेरिकी कानूनों के विभिन्न मामलों का विश्लेषण करते हुए तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन जी दस्ताने बनाम एस दस्ताने एवं अन्य कई मामलों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि मानसिक क्रूरता कोई स्थिर अवधारणा नहीं है और यह निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित प्रारूप या निश्चित मानक नहीं हो सकते कि मानसिक क्रूरता क्या है।केवल उदाहरण ही गिनाए जा सकते हैं, जो कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते। कुछ ऐसे उदाहरण, जिन्हें मानसिक क्रूरता के रूप में माना गया है, वे तब होते हैं जब पति-पत्नी का एक-दूसरे के साथ रहना तीव्र मानसिक पीड़ा, कष्ट और दुःख से गुज़रे बिना संभव न हो, या जब यह पाया जाए कि किसी निर्दोष पक्ष से यह युक्तिसंगत

रूप से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह दूसरे पक्ष के आचरण को सहन करे या उसके साथ रहना जारी रखे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मात्र उदासीनता या स्नेह का अभाव क्रूरता नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि भाषा में बार-बार रूखापन, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उपेक्षा अथवा उदासीनता को भी मानसिक क्रूरता नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह ऐसे स्तर तक न पहुँच जाए जिससे दूसरे जीवनसाथी का वैवाहिक जीवन पूर्णतः असहनीय हो जाए।

मानसिक क्रूरता में शामिल होने वाला एक प्रमुख आधार यह है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय तक निरंतर अलगाव बना रहे, जिससे यह न्यायोचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सके कि वैवाहिक संबंध अब सुधार से परे हो चुके हैं। ऐसे मामलों में विवाह केवल एक कानूनी बंधन से बँधा हुआ कष्ट बन जाता है। उस बंधन को समाप्त करने से इनकार करना विवाह की पवित्रता की रक्षा नहीं करता; बल्कि, यह पक्षकारों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति नगण्य सम्मान को दर्शाता है।

यह परिस्थिति निस्संदेह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आती है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया कि समझौते और मेल-मिलाप के लिए कई प्रयास किए गए तथा प्रतिवादी को स्वीकार्य किसी भी शर्त पर वार्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रतिवादी की ओर से केवल इतना ठंडा उत्तर मिला कि वह पति-पत्नी के संबंधों को समाप्त नहीं करना चाहती। इसके अतिरिक्त गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रतिवादी की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया।

अपीलकर्ता प्रतिवादी को उसके भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह ₹7,000/- का भुगतान कर रहा है। विवाह से उत्पन्न पुत्र का भरण-पोषण भी वही कर रहा है। इस वाद के अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि पूर्व में अपीलकर्ता द्वारा एकमुश्त समझौते का प्रस्ताव भी दिया गया

था, जिसके अंतर्गत उसने प्रतिवादी को उसकी समस्त वैवाहिक देयों के निर्वहन हेतु ₹40,00,000/- देने तथा पुत्र के वयस्क होने या उसकी नियुक्ति सुनिश्चित होने तक उसके भरण-पोषण में होने वाले व्ययों को वहन करने का आश्वासन दिया था।

यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी ने इस प्रस्ताव का कोई उत्तर तक नहीं दिया, बल्कि केवल वैवाहिक संबंधों को पुनः स्थापित करने पर ही आग्रह करती रही।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह आग्रह किया कि अपीलकर्ता किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी के व्यभिचार को सिद्ध नहीं कर सकता, किंतु पत्नी द्वारा 17 वर्षों से अलग जीवन व्यतीत करने के बाद भी वैवाहिक संबंध तोड़ने से इनकार करना, मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह के अपूरणीय रूप से टूट जाने का स्पष्ट संकेत है।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ने उपर्युक्त तर्कों का खंडन करते हुए यह निवेदन किया कि वैवाहिक वाद मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक मांगने हेतु दायर नहीं किया गया था, बल्कि जो आधार उठाए गए थे वे व्यभिचार और परित्याग के थे। गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी के विरुद्ध व्यभिचारी जीवन जीने का आरोप तनिक भी सिद्ध नहीं हुआ। फिर भी अपीलकर्ता ने कभी प्रतिवादी और अपने पुत्र को वापस लाने का प्रयास नहीं किया, जिससे यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि वह अपने दांपत्य संबंधों को पुनः स्थापित करने में कभी रुचि नहीं रखता था।इसके आगे यह प्रस्तुत किया गया कि परित्याग का आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ। तलाक परित्याग के आधार पर पाने के लिए दो आवश्यक शर्तें पूर्ववर्ती होनी चाहिए—(i) अलगाव का तथ्य और (ii) यह स्थापित करने का इरादा कि सहवास स्थायी रूप से समाप्त हो गया है। जिस पति या पत्नी का यह दावा हो कि उसे परित्यक्त किया गया है, उसे यह भी सिद्ध करना होगा कि उसमें उसकी सहमति का अभाव था और दूसरे पक्ष को छोड़ने का कोई युक्तिसंगत कारण नहीं था। इस सिद्धांत के समर्थन में अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **सावित्री पाण्डेय बनाम प्रेम चंद्र पाण्डेय ,** AIR **2002** SC **591** पर भरोसा

किया।आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर प्रतिवादी को वैवाहिक जीवन में वापस लाने का कोई प्रयास नहीं किया और तलाक पाने के लिए परित्याग का आधार तैयार करने हेतु प्रमाण जुटाने की कोशिश की। उसने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु वैवाहिक वाद भी दायर किया और तत्पश्चात उसे वापस ले लिया, जबकि प्रतिवादी के साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि वह सदैव अपना दांपत्य जीवन पुनः आरंभ करना चाहती थी, बशर्ते अपीलकर्ता यह आश्वासन दे कि वह अपनी जीवनशैली बदलेगा और अपने आचरण में सुधार करेगा।अंत में यह निवेदन किया गया कि तलाक केवल माँगने मात्र से नहीं मिल सकता; यह एक संस्कार है और यह एक संस्कार है और तलाक की माँग करने वाले पक्ष का आचरण प्रासंगिक हो जाता है। अपीलकर्ता के साक्ष्य से यह तथ्य स्वीकार हो चुका है कि उसने कभी अपने बच्चे की कोई खोज-खबर लेने की कोशिश तक नहीं की और न ही उसके भरण-पोषण के लिए कोई व्यवस्था की है।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ने अगला तर्क प्रस्तुत करते हुए न्यायालय का ध्यान **प्रदर्श** A, A/1 **और** A/2 की ओर आकर्षित किया और कहा कि अपीलकर्ता एक रंगीन जीवन जी रहा था और वास्तव में कभी नहीं चाहता था कि प्रतिवादी उसके साथ रहे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान वैवाहिक वाद उस समय दायर किया गया जब **वैवाहिक वाद सं. 457/2007** लंबित था, जो अपीलकर्ता के आचरण को और स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अतः यह निवेदन किया गया कि परित्याग जानबूझकर नहीं था और माननीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना ने व्यभिचार के आरोप के साथ-साथ परित्याग के आरोप को भी सही ढंग से अस्वीकृत किया।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह आधार कि विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है, अस्वीकार

किए जाने योग्य है क्योंकि **हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13** में विवाह विच्छेद के लिए अपूरणीय रूप से टूटे विवाह को आधार के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। इस सिद्धांत के समर्थन में अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनिल कुमार जैन **बनाम माया जैन , (2009) 10** SCC **415** पर भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के **कंडिका 28 और 29** में निम्नलिखित टिप्पणियाँ दर्ज की हैं:

> "28. तथापि, यह इंगित किया जा सकता है कि कुछ उच्च न्यायालयों में, जिनके पास संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियाँ नहीं हैं, यह प्रश्न उठा था और अधिकांश मामलों में यह माना गया कि यद्यपि विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका था, फिर भी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 या धारा 13-बी के अंतर्गत तलाक का डिक्री प्रदान करने का यह कोई आधार नहीं है।"

> "29. अंततः उपर्युक्त विचार-विमर्श से दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष यह है कि यद्यपि विवाह का अपूरणीय रूप से टूट जाना हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 या धारा 13-बी के अंतर्गत तलाक देने का कोई आधार नहीं है, तथापि यह सिद्धांत केवल उन्हीं कार्यवाहियों में लागू किया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हों। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय, उक्त अधिनियम की धारा 13-बी में निर्दिष्ट छह माह की वैधानिक अवधि की प्रतीक्षा किए बिना ही, पक्षकारों को राहत प्रदान कर सकता है। विवाह के अपूरणीय रूप से टूट जाने का यह सिद्धांत उच्च न्यायालयों तक के

लिए भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके पास संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समान शक्तियाँ नहीं हैं। अतः न तो दीवानी न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय, अधिनियम की संबंधित धाराओं में निर्धारित अवधि से पहले या धारा 13 और 13-बी में प्रदत्त आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर आदेश पारित कर सकते हैं।"

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत, हम पटना के माननीय अतिरिक्त प्रधान परिवार न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से पूर्णतः सहमत हैं, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः यह अपील निरस्त की जाती है।

(श्री सत्यव्रत वर्मा, माननीय न्यायमूर्ति)

(श्री आशुतोष कुमार , माननीय न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ–

ऋषभ/–

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।